फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

मांगीलाल जाट बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 26 / 2023 GCMS No. – 2023/43

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.3.23	यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री मांगीलाल जाट पुत्र दुलीचन्द जाट निवासी ग्राम मालासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही मालासी जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 128 में मांगीलाल पुत्र दुलीचन्द दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मांगीलाल जाट पुत्र दुलीचन्द है। प्रार्थी की मांगीलाल जाट पुत्र दुलीचन्द किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। नायब तहसीलदार सालासर की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार रोही मालासी की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 128 में मांगीलाल पुत्र दुलीचन्द दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम मांगीलाल जाट पुत्र दुलीचन्द है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात, शपथ–पत्र एंवं नायब तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही मालासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 128 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	मालासी	128 (नया)	मांगीलाल पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी मालासी खातेदार	मांगीलाल जाट पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी मालासी खातेदार

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/23 को लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.03.15 10:50:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक – रीडर / 2023 / दिनांक

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)